



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273318
CG-DL-E-10062026-273318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 415]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सं. 26/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 462(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

I. सारणी में, क्रम संख्या 5घ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)
"5ड.	2710 12	22% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 78% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 22% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
5च.	2710 12	25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 75% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 25% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
5छ.	2710 12	27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 73% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 27% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
5ज.	2710 12	30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 70% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 30% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य";

II. स्पष्टीकरण 2 में, अंक एवं अक्षर "5घ" के पश्चात अंक, अक्षर और चिह्न ",5ड, 5च, 5छ, 5ज" अंतःस्थापित की जाएँगे।

[फा. सं. 190354/295/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 02/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2026

No. 26/2026-Central Excise

G.S.R. 462(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793 (E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- I. in the TABLE, after Sl. No. 5D and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)
"5E.	2710 12	22% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 78% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 22% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
5F.	2710 12	25% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 75% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 25% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
5G.	2710 12	27% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 73% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 27% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
5H.	2710 12	30% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 70% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 30% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil";

- II. in Explanation 2, after the figure and letter "5D", the figures, letters and symbols, ",5E, 5F, 5G, 5H" shall be inserted.

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 02/2026-Central Excise, dated the 1st February, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 86 (E), dated the 1st February, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सं. 27/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 463(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4घ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएँगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)
"4ड.	<p>22% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,-</p> <p>(क) जिसमें आयतन के आधार पर 78% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 22% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और</p> <p>(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।</p> <p>स्पष्टीकरण.-</p> <p>(i) उपयुक्त उत्पाद शुल्क से तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्बहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्बहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर) से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबद्ध छूट अधिसूचना के साथ पढा जाएगा;</p> <p>(ii) उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से तात्पर्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्बहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से है।</p>	शून्य

4च.	<p>25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (क) जिसमें आयतन के आधार पर 75% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 25% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।</p> <p>स्पष्टीकरण.-</p> <p>(i) उपयुक्त उत्पाद शुल्क से तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्बहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्बहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर) से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबद्ध छूट अधिसूचना के साथ पढा जाएगा;</p> <p>(ii) उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से तात्पर्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्बहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से है।</p>	शून्य
4छ.	<p>27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (क) जिसमें आयतन के आधार पर 73% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 27% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।</p> <p>स्पष्टीकरण.-</p> <p>(i) उपयुक्त उत्पाद शुल्क से तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्बहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्बहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त</p>	शून्य

	<p>उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर) से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबद्ध ब्लूट अधिसूचना के साथ पढा जाएगा;</p> <p>(ii) उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से तात्पर्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्घुहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से है।</p>	
4ज.	<p>30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,-</p> <p>(क) जिसमें आयतन के आधार पर 70% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 30% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और</p> <p>(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।</p> <p>स्पष्टीकरण.-</p> <p>(i) उपयुक्त उत्पाद शुल्क से तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्घुहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्घुहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्घुहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्घुहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर) से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबद्ध ब्लूट अधिसूचना के साथ पढा जाएगा;</p> <p>(ii) उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से तात्पर्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्घुहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से है।</p>	शून्य"।

[फा. सं. 190354/295/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या 28/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 13/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 534(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

No. 27/2026-Central Excise

G.S.R. 463(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002, namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 4D and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"4E.	<p>22% ethanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 78% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 22% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.</p> <p>Explanation.-</p> <p>(i) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(ii) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax" shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	Nil
4F.	<p>25% ethanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 75% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 25% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.</p> <p>Explanation.-</p> <p>(i) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(ii) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax" shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	Nil
4G.	<p>27% ethanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 73% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 27% ethanol on which</p>	Nil

	<p>the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.</p> <p>Explanation.- (i) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force; (ii) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax" shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	
4H.	<p>30% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 70% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 30% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.</p> <p>Explanation.- (i) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force; (ii) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax" shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	Nil".

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002 and was last amended vide notification No. 13/2022-Central Excise, dated the 12th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 534 (E), dated the 12th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सं. 28/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 464(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे आगे 'उत्पाद शुल्क अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट वस्तुओं को, जो स्तंभ (2) में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद में आती हैं, वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर) की संपूर्ण राशि से, स्तंभ (4) में निर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक सीमा तक, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710 12	22% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 78% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 22% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
2.	2710 12	25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 75% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 25% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
3.	2710 12	27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 73% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 27% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा	शून्य

		एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	
4.	2710 12	30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 70% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 30% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उचित उत्पाद शुल्क से अभिप्रेत है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अधीन उद्घाटनीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्घाटनीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर), वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्घाटनीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्घाटनीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर), जो समय-समय पर प्रवृत्त किसी संगत छूट अधिसूचना के साथ पठित हों;

(ख) उचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर तथा एकीकृत कर से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्घाटनीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर तथा एकीकृत कर।

[फा. सं. 190354/295/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

No. 28/2026-Central Excise

G.S.R. 464(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the following Table and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable thereon under the said section 112 of the Finance Act, 2018, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710 12	22% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 78% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 22% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
2.	2710 12	25% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 75% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 25% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
3.	2710 12	27% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 73% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 27% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
4.	2710 12	30% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 70% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 30% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil

Explanation. - For the purposes of this notification:-

(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable under section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force;

(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सं. 29/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 465(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएँगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)
"3ग.	2710 12	22% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 78% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 22% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
3घ.	2710 12	25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 75% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 25% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
3ङ.	2710 12	27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 73% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो तथा 27% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	शून्य
3च.	2710 12	30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जो कि मिश्रण है,- (i) जिसमें आयतन के आधार पर 70% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) हो, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का	शून्य"।

		भुगतान किया गया हो तथा 30% एथेनॉल हो, जिस पर यथास्थिति उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर अथवा एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 19850 के अनुरूप हो।	
--	--	---	--

[फा. सं. 190354/295/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 03/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 15/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 536(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

No. 29/2026-Central Excise

G.S.R. 465(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 3B and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)
"3C.	2710 12	22% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 78% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 22% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
3D.	2710 12	25% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 75% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 25% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil
3E.	2710 12	27% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 73% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 27% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union	Nil

		territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	
3F.	2710 12	30% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 70% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 30% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 19850.	Nil".

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 03/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021 and was last amended *vide* notification No. 15/2022-Central Excise, dated the 12th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) *vide* number G.S.R. 536 (E), dated the 12th July, 2022.